अनुदान संख्या 50 – चंडीगढ़
GRANT No. 50 - CHANDIGARH

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*42,01,00*	*31,75,64*	*-10,25,36*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*9,46,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4309,48,00	4384,56,00	4336,84,38	-47,71,62
पूरक	Supplementary	75,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,33,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*25,00,00*	*85,00,00*	*85,00,00*	..
पूरक	*Supplementary*	*60,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	376,63,00	397,63,00	375,94,82	-21,68,18
पूरक	Supplementary	21,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				19,01,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*3791.00*	*2948.43*	*2874.50*	*-73.93*
पु.	*R.*	*-842.57*			

(I) "उच्च न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत – *₹935.75 लाख* की बचत (*₹3671.00 लाख के* स्वीकृत *विनियोग* के तुलना में) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने और विदेश दौरे न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "High Courts - Establishment" - saving of ₹ 935.75 *lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 3671.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts of High Court Judges and no foreign tours undertaken.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹4771.62 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹7508.00 लाख के पूरक अनुदान का 64 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall saving (₹4771.62 lakhs) constituted 64 percent of the supplementary grant of ₹7508.00 lakhs obtained in March, 2020 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	34733.00	36217.21	35981.09	-236.12
पू.	S.	4.00			
पु.	R.	1480.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	1000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	47329.00	48546.88	48531.80	-15.08
पु.	R.	1217.88			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	15963.00	14540.36	14516.18	-24.18
पु.	R.	- 1422.64			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	58533.00			
पू.	S.	1.00	57603.89	57426.57	-177.32
पु.	R.	-930.11			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	8839.00			
पू.	S.	1.00	9966.46	9947.61	-18.85
पु.	R.	1126.46			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	43859.00	44540.14	44530.75	-9.39
पु.	R.	681.14			
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल आपूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	7030.00	7547.68	7536.52	-11.16
पु.	R.	517.68			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	3612.00	3058.03	3027.93	-30.10
पु.	R.	-553.97			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	7370.00			
पू.	S.	1.00	6519.10	6518.48	-0.62
पु.	R.	-851.90			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	716.00	26.74	26.73	-0.01
पु.	R.	-689.26			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3055”	Major Head “3055”				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	24980.00	24795.82	24698.13	-97.69
पु.	R.	-184.18			

(I) ₹1624.15 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1600.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹1624.15 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹1600.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2015” – “पंचायतों / स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार – नगर निगमों के चुनाव” – ₹1000.00 लाख – नगर निगम के चुनावों को न कराए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head “2015” - “Charges for Conduct of Election to Panchayats/Local Bodies - Election for Municipalities” - ₹1000.00 lakhs - due to non-holding of elections for Municipal Corporation.

(खा) मुख्य शीर्ष “2515” – “अन्य व्यय – ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम” – ₹600.00 लाख – ग्रामीण विकास का विलय नगर निगम चंडीगढ़ में किए जाने के कारण।

(B) Major Head “2515” - “Other Expenditure - Rural Works Programme”- ₹600.00 lakhs - due to merger of Rural Development with Municipal Corporation Chandigarh.

(II) मुख्य शीर्ष “2014” – “सिविल और सत्र न्यायालय – स्थापना” के अंतर्गत – ₹703.57 लाख की बचत (₹3776.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक अधिकारियों, सैशन डिवीज़न के कर्मचारियों के वेतन मानों का संशोधन न किए जाने तथा कम्प्यूटरों की कम खरीदारी के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2014” - “Civil and Session Courts - Establishment” - saving of ₹703.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3776.50 lakhs) was due to non-revision of pay scales of Judicial Officers, officials of Session Division and less purchase of computers.

(III) मुख्य शीर्ष “2059” – “सामान्य – अनुरक्षण तथा मरम्मत – स्थापना” के अंतर्गत – ₹634.35 लाख की बचत (₹5209.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2059” - “General - Maintenance and Repairs - Establishment” - saving of ₹634.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5209.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(IV) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईंः–

(IV) Under Major Head “2202”- savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा – निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹1182.75 लाख की बचत (₹22917.86 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, बिजली, पानी, कार्यालय सामग्री के कम बिलों की प्राप्ति होने तथा लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(A) "Elementary Education - Direction and Administration - Primary Schools" - saving of ₹1182.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22917.86 lakhs) was due to non filling up of vacant posts, less receipt of bills for electricity, water, office material and less number of beneficiaries.

(खा) "विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – गैर सरकारी कॉलेजों तथा संस्थाओं को सहायता – निजी कॉलेजों को सहायता अनुदान" – ₹660.09 लाख की बचत (₹6010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब सरकार द्वारा यूजीसी वेतनमान, 2016 लागू न किए जाने के कारण हुई।

(B) "University and Higher Education - Assistance to Non-Government Colleges and Institutes - Grants-in-aid to Private colleges" - saving of ₹660.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6010.00 lakhs) was due to non-implementation of UGC Pay Scale, 2016 by Punjab Government.

(V) मुख्य शीर्ष "2210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" के अंतर्गत – ₹528.73 लाख की बचत (₹2301.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, बिजली, पानी तथा कार्यालय सामग्री के कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "2210" - "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Primary Health Centres" - saving of ₹528.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2301.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less bills of electricity, water and office material.

(VI) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – अनुरक्षण और मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" के अंतर्गत – ₹600.48 लाख की बचत (₹3223.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न सेक्टरों में आवसीय भवनों के अनुरक्षण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹600.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3223.00 lakhs) was due to non finalisation of tenders for maintenance of residential buildings in various sectors.

(VII) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण वृद्ध – अशक्त तथा दरिद्र व्यक्तियों का कल्याण – वृद्ध तथा दरिद्रों के लिए घर" के अंतर्गत – ₹544.50 लाख की बचत (₹1980.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामाग्री की खरीद के लिए निवेदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Aged, Infirm and Destitute - Home for Old and Destitutes" - saving of ₹544.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1980.50 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for purchase of material and receipt of less bills.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3055" – "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विश्व बैंक प्रायोजित परियोजना" के अंतर्गत – ₹595.77 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) Under Major Head "3055" - "International Co-operation - World Bank Sponsored Project" - saving of ₹595.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to receipt of less bills

(IX) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2393.89 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 38 प्रतिशत थीं।

(IX) Under seven heads savings of ₹2393.89 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹700.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2203" – "इंजिनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजिनियरिंग कॉलेज" के अंतर्गत – ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3.(I) The above savings were partly (₹700.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2203" - "Engineering/Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College."

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रति संतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" – "उच्च न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत – ₹2020.26 लाख का अधिक व्यय (₹30052.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन के भुगतान, अधिक संविदागत कर्मचारी लिए जाने, दिहाड़ी में वृद्धि होने तथा अधिक बिल प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2014" - "High Courts - Establishment" - excess of ₹2020.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30052.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of salaries, hiring of more contractual staff, enhancement of wages and receipt of more bills.

(खा) मुख्य शीर्ष "2055" – "जिला पुलिस–चंडीगढ़" – ₹1310.46 लाख का अधिक व्यय (₹36777.43 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, पीओएल की दरों में वृद्धि होने, विज्ञापन तथा वकीलों के शुल्क के लिए अधिक दावे प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

(B) Major Head "2055" - "District Police - Chandigarh" - excess of ₹1310.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36777.43 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, increase in rates of POL, receipt of more claims for advertisement and counsel fee.

(गा) मुख्य शीर्ष "2202" – "माध्यमिक शिक्षा – निरीक्षण – स्थापना" – ₹659.37 लाख का अधिक व्यय (₹269.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक संविदागत कर्मचारी लिए जाने तथा दिहाड़ी और वेतन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

(C) Major Head "2202" - "Secondary Education - Inspection - Establishment" - excess of ₹659.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹269.60 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of more contractual staff and enhancement of wages and salaries.

(घा) मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – सरकारी चिकित्सा कॉलेज" – ₹2231.08 लाख का अधिक व्यय (₹24921.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, अधिक संविदागत कर्मचारी लिए जाने तथा दिहाड़ी में वृद्धि होने और अस्पतालों में दैनिक प्रयोग के लिए सामग्री की खरीद के कारण अतिरिक्त निधियों की

(D) Major Head "2210" - "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - excess of ₹2231.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24921.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, hiring of more contractual staff, enhancement of

आवश्यकता की वजह से हुआ।

wages and purchase of material for daily use in hospitals.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2215" – "सिरेज तथा स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय'' के अंतर्गत– ₹516.75 लाख का अधिक व्यय (₹1030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न गैर रिहायशी भवनों की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अनुरक्षण तथा सेक्टर – 39 वॉटर वर्कस में कच्चे पानी और साफ पानी की भंडारण क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(E) Major Head "2215" - "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Expenditure in Union Territories without Legislature"- excess of ₹516.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1030.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance of Public Health Services of various Non Residential buildings and enhancement of raw water and clear water storage capacity at Sector 39 water works.

(चा) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपकरण – परिचालन" – ₹503.53 लाख का अधिक व्यय (₹18994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक संविदागत कर्मचारी लिए जाने, दिहाड़ी, किराया तथा करों में वृद्धि, परिवहन विभाग द्वारा समयोपरि भत्ता दिए जाने तथा अधिक बिल प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की वजह से हुआ।

(F) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Operation" - excess of ₹503.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18994.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards hiring of more contractual staff, increase in wages, Rent and Taxes, overtime allowance by Transport Department and receipt of more bills.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹929.08 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत तथा 874 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹929.08 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 60 percent and 874 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचत (₹2168.18 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹2100.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall saving (₹2168.18 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2100.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	2600.00			
पू.	S.	1.00	4312.78	4311.12	-1.66
पु.	R.	1711.78			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
मू.	O.	7175.00			
पू.	S.	1.00	4940.58	4879.62	-60.96
पु.	R.	-2235.42			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	7531.00			
			5637.67	5600.72	-36.95
पु.	R.	-1893.33			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing Urban Development				
मू.	O.	2370.00			
पू.	S.	1.00	3211.04	3211.04	..
पु.	R.	840.04			

(I) ₹57.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4202" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईंः–

(का) "सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – भवन" – ₹840.58 लाख की बचत (₹1590.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शासकीय कॉलेज सेक्टर 46 तथा शासकीय महिला कॉलेज सेक्टर 42 में छात्रावास ब्लॉक के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़" – ₹952.65 लाख की बचत (₹1019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 12 में लड़कियों तथा लड़कों के छात्रावास निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा (प्रशिक्षण तथा अनुसंधान) – एलोपैथी" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(का) "शासकीय चिकित्सा कॉलेज/500 बिस्तर वाला दूसरा जनरल अस्पताल सेक्टर 32, चंडीगढ़" – ₹1314.21 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर 32 में क्रीडा आघात केन्द्र के निर्माण तथा सेक्टर 32 के ब्लॉक में मातृ एवं शिशु देखभाल केन्द्र की स्थापना के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "अन्य मदें" – ₹617.01 लाख की बचत (₹2506.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांव मलोया में 50 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए दिए जाने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल के उपकरणों की खरीद नहीं किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹770.03 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से

(I) Provision of ₹57.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads.

(II) Under Major Head "4202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "General Education - University and Higher Education - Buildings" - saving of ₹840.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1590.00 lakhs) was due to non finalisation of tender for construction of hostel block in Government College Sector 46 and Government Girls College Sector 42.

(B) "Technical Education - Engineering/ Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College, Chandigarh" - saving of ₹952.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1019.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for construction of Girls and Boys hostel in Punjab Engineering College 12 owing to court cases.

(III) Under Major Head "4210" - "Medical Education (Training and Research) - Allopathy" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector 32, Chandigarh" - saving of ₹1314.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non finalisation of tenders for construction of Sports Injury Centre in Sector 32 and setting up of Mother and Child Care Centre at Block -K, Sector 32.

(B) "Other Items" - saving of ₹617.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2506.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for construction of 50 bedded hospital in village Maloya and non-purchase of hospital equipments by Health Department.

(IV) Under two heads savings of ₹770.03 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not

कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत और 67 प्रतिशत थीं।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2362.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष "4055" — "पुलिस आवास — भवन" — ₹1499.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1498.98 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" — "सरकारी आवासीय भवन — सामान्य पूल आवास — सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास" — ₹863.00 लाख।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹805.19 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परन्तु, ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 2996 प्रतिशत और 7115 प्रतिशत था।

exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 47 percent and 67 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly (₹2362.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "4055" - "Police Housing - Building" - ₹1499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1498.98 lakhs.

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees" - ₹863.00 lakhs.

(II) Under two heads excess of ₹805.19 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 2996 percent and 7115 percent of the sanctioned provision.